राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआर/डीएलबी/अनु.कार्य./2023–24/ 13405 दिनांक : 12\10\2023

परिपत्र

नगरीय निकायों द्वारा विभिन्न अवसरों पर बिना सक्षम स्वीकृति के विज्ञापन नीति, नियम एवं विभागीय निर्देशों के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की भी अवहेलना कर राजस्थान संवाद के माध्यम से समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराये जाकर निविदा, विज्ञप्ति, आपत्ति सूचना, राष्ट्रीय पर्वो एवं जन्मदिवस जैसे अन्य अवसरों पर सजावटी विज्ञापन के प्रकाशन भी स्वयं के स्तर से ही कराये जा रहे है जबकि इनका प्रकाशन सक्षम स्वीकृति उपरान्त राजस्थान संवाद (सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय) के माध्यम से ही करवाया जाना चाहिये। स्वयं के स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने के कारण न केवल नियमों का उल्लंघन होता है, अपितु विभिन्न समाचार पत्रों के भुगतान भी काफी वर्षो तक लम्बित रहता है, जिससे राज्य सरकार एवं विभाग की छवि को नुकसान पहुँचता है। इस हेतु पूर्व में विभागीय पत्रांक 26 दिनांक 19.02.2020 एवं परिपत्र क्रमांक 2428 दिनांक 23.05.2023 द्वारा भी निर्देश जारी किये गये थे।

उल्लेखनीय है कि इस विषय पर **माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 304/2018 सुधीर शारदा बनाम मंजीत सिंह व अन्य** विचाराधीन है तथा इस बिन्दु को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

विभाग के ध्यान में आया है कि विभाग द्वारा विज्ञापन नीति, नियम, विभागीय निर्देशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने वाले नगरीय निकायों को समय–समय पर नोटिस जारी किये गये है। किन्तु इसके बावजूद भी कतिपय नगरीय निकायों द्वारा विज्ञापन नीति, नियम, विभागीय निर्देशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इस संबंध में कुछ निकायों ने नोटिस के जवाब में अवगत कराया है कि कतिपय समाचार पत्रों द्वारा बिना कार्यादेश के ही विज्ञापन प्रकाशित कर निकायों में भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत कर दिये जाते है एवं कुछ निकायों ने यह उल्लेख किया है कि किसी निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा नगरीय निकाय के नाम से विज्ञापन प्रकाशित कर दिये जाते है। यह काफी गम्भीर मामला है।

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य की समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

01. नगरीय निकयों द्वारा किसी भी स्थिति में स्वयं के स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं करवाया जावे। किसी भी प्रकार की निविदा, आपत्ति सूचना एवं 26 जनवरी एवं 15 अगस्त व अन्य पर्वो पर सजावटी विज्ञापनों का प्रकाशन निकाय को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत नियमानुसार राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (DIPR) के माध्यम से कराया जावे।
02. नगर निगम/परिषद/पालिकाओं को विज्ञापन नियमों के तहत प्रदत्त वित्तीय अधिकारो से अधिक का विज्ञापन जारी करने हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।

03. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2016 को दिये गये निर्णय का उल्लेख करते हुए पत्र के बिन्दु संख्या (iii) के अन्तर्गत दिये गये निर्देश– "In the State, similarly, the photograph of the Departmental (Cabinet) Minister/Minister In-Charge in lieu of the photograph of the Chief Minister may be published, if so desired" की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
04. यदि कोई समाचार पत्र संबंधित नगरीय निकाय के कार्यादेश के बिना विज्ञापन का प्रकाशन करता है, तो इस प्रकार प्रकाशित विज्ञापन का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
05. यदि कोई निजी संस्था या व्यक्ति नगरीय निकाय की बिना लिखित स्वीकृति के नगरीय निकाय के नाम से स्वयं के खर्चे पर भी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराता है तो ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के साथ ही वर्तमान में प्रचलित अधिनियम/नियमों के तहत कठोर कार्यवाही की जावे।
06. नगरीय निकायों द्वारा विज्ञापन नीति, नियम, विभागीय निर्देशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर यदि समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किय जाते है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है एवं विज्ञापन प्रकाशन का समस्त खर्चा भी संबंधित से वसूल किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही करने अथवा विज्ञापन नीति/नियमों/निर्देशों की अवहेलना की जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है तो इसके लिए संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःपीआर/डीएलबी/अनु.कार्य./2023–24/ 13406-13925 दिनांक : 12/10/2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य के समस्त समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के संपादकों को अपने स्तर से निर्देश जारी करावे कि कोई भी समाचार पत्र राजस्थान संवाद के माध्यम से प्राप्त नहीं होने वाले सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/नगरीय निकायों के विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं करें।
4. निजि सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
8. संपादक, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/नवज्योति/राष्ट्रदूत/समाचार जगत/अन्य समाचार पत्रों को प्रेषित कर लेख है कि कोई भी समाचार पत्र राजस्थान संवाद के माध्यम से प्राप्त नहीं होने वाले सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/ बोर्ड/नगरीय निकायों के विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं करें। अन्यथा इस प्रकार के प्रकाशन का कोई भुगतान विभाग/संबंधित नगरीय निकाय द्वारा देय नहीं होगा।
9. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)